

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-1/4/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक: 16 जुलाई, 2015

आदेश

बी.एड./शिक्षाशास्त्री/एम.एड./शिक्षा-आचार्य/बी.पी.एड. महाविद्यालयों के लिए सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2015-16 के लिए निम्नानुसार अन्तरिम वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

क्र.सं.	मद	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपये में)
1.	शिक्षण शुल्क	17,880.00
2.	विविध शुल्क	4,440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3600.00

*क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क सिर्फ बी.एड./शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।

उपरोक्त सारिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-व्यय का मदवार विवरण सत्र 2015-16 के लिए अन्तरिम रूप से निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मद	अन्तरिम शुल्क (2015-16) (राशि रुपये में)
(A) कार्यालय व्यय		
1.	प्रवेश शुल्क	96.00
2.	कारान मुनी	150.00
3.	प्रमाण-पत्र	24.00
4.	विकास शुल्क	840.00
5.	विजली-पानी	840.00
6.	परीक्षा	300.00
7.	विविध	60.00
योग		2200.00
(B) कार्यालय व्यय		
1.	खेलकूद	180.00
2.	पुरतकालय	640.00
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180.00
4.	मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180.00
5.	शैक्षिक तकनीकी	360.00
6.	कार्यशाला/कार्यानुभव	360.00
7.	विज्ञान शुल्क	180.00
8.	आवस्यिक व्यय	180.00
योग		2,160.00
महायोग (A+B)		4,440.00

वर्ष 2015-16 के लिए उपरोक्त शुल्क पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वार्षिक रूप से देय होगा। उल्लेखनीय है कि यह शुल्क अन्तरिम रूप से निर्धारित किया गया है। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा 2016-17 के लिए नवीन शुल्क निर्धारण किए जाने की स्थिति में वर्ष 2016-17 में नवीन प्रदेशित विद्यार्थियों के साथ-साथ में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर भी नवीन शुल्क लागू होगा।

Sd/-

(डॉ० रेनु बापना)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

7. डी.एल.एड. एवं डी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु वार्षिक निर्धारित शुल्क 16250/- का मदवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

राशि रूपयों में

क्र. सं.	मद	उपमद	डी.एल.एड.		डी.पी.एड.	
			राशि	योग	राशि	योग
1	शिक्षण शुल्क	---	9000	9000	2500	2500
2	छात्र कोष शुल्क	पंजीयन	100	7250	100	13750
		कारशन मनी	100		100	
		बिजली पानी	1500		1500	
		गृह परीक्षा शुल्क	500		500	
		खेलकुद .	500		8000	
		पुस्तकालय / वाचनालय	800		800	
		प्रयोग शाला शुल्क	500		500	
		शैक्षिक तकनीकी	700		700	
		कम्प्यूटर शुल्क	800		800	
		आकस्मिक व्यय	1750		750	
	महायोग			16250		16250

विशेष नोट- इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या 3 के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी से 250 रुपये वार्षिक अकादमिक सम्बलन राशि भी ली जाएगी।
उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. निदेशक, एसआईआईआरटी, उदयपुर।
9. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर।
10. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई जीवननिधि-1A, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
11. वित्त नियन्त्रक, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा संकूल जयपुर।
12. वित्त नियन्त्रक, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।